सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6418/MP/120/2025-RU-I

दिनांक: 20.07.2026

अध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, 59 अरेरा हिल्स, जेल रोड़,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
ई-मेल: nvdabpl@mp.nic.in

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-बड़वानी,
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551,
ई-मेल: dmbarwani@nic.in

विषय: सरदार सरोवर बांध परियोजन के डूब क्षेत्र में की गई अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रदान किए जाने हेतु श्रीमती मनोरमा बाई पत्नी श्री गजानन्द पुरोहित, निवासी-ग्राम सानगाँव, तहसील व जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश का दिनांक 16.11.2025 का अभ्यावदेन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती मनोरमा बाई
पत्नी श्री गजानन्द पुरोहित,
निवासी-ग्राम सानगाँव,
तहसील व जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/DEV-6418/MP/120/2025-RU-I

श्रीमती मनोरमा बाई द्वारा सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित भूमि के मुआवजा भुगतान में विलंब तथा शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन न किए जाने संबंधी अभ्यावेदन पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्रीमती मनोरमा बाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अवगत कराया गया कि ग्राम सनगांव, तहसील एवं जिला बड़वानी स्थित सर्वे क्रमांक 40/2, रकबा 1.594 हेक्टेयर भूमि उनके एवं उनके अन्य परिजनों के नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है। अभ्यावेदन के अनुसार उक्त भूमि सरदार सरोवर बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित हुई थी।

1. अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के अन्य सह-खातेदारों को उनके हिस्से का पृथक-पृथक मुआवजा प्रदान कर दिया गया, किन्तु अभ्यावेदिका एवं अन्य संबंधित सह-खातेदारों को उनके हिस्से की भूमि का मुआवजा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।
2. अभ्यावेदिका द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्होंने खण्डपीठ-2, शिकायत निवारण प्राधिकरण (म.प्र.), सरदार सरोवर परियोजना, इंदौर के समक्ष कई बार शिकायत प्रस्तुत की थी। उक्त शिकायत का प्रकरण क्रमांक 58/2015 में दिनांक 29.12.2015 को शिकायत निवारण प्राधिकरण, सरदार सरोवर परियोजना, इंदौर द्वारा निर्णय पारित किया गया था। अभ्यावेदिका का कथन है कि उनके पक्ष में आदेश पारित होने के लगभग दस वर्ष पश्चात भी उन्हें उनके हिस्से की भूमि का मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है।
3. अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तथा लगातार अनुरोध किए जाने के बाद भी उनकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है।
4. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बड़वानी को दिनांक 03.12.2025 को नोटिस एवं दिनांक 19.03.2026 को स्मरण पत्र जारी किया गया था। तथापि, आज दिनांक तक संबंधित विभागों द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. प्रकरण में पूर्व में कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई थी। अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों तथा संबंधित विभागों द्वारा आयोग के नोटिस एवं स्मरण पत्र के बावजूद प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 16.06.2026 को सिटिंग आयोजित की गई।
6. सुनवाई के दिन कलेक्टर, बड़वानी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि श्रीमती मनोरमाबाई पत्नी स्व. गजानंद पुरोहित, निवासी ग्राम सनगांव, जिला बड़वानी द्वारा सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित पैतृक कृषि भूमि के मुआवजे एवं पुनर्वास लाभ की मांग की गई है। अभिलेखों के अनुसार ग्राम सनगांव की सर्वे क्रमांक 38 की कुल 1.538 हेक्टेयर भूमि परियोजना से प्रभावित हुई थी, जिसके लिए निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान पूर्व में संयुक्त खातेदारों को किया जा चुका है। स्व. गजानंद के हिस्से की भूमि का भी मुआवजा प्रदान किया गया था। बाद में नामांतरण के आधार पर मनोरमाबाई एवं उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुए तथा उनके पांचों वयस्क पुत्रों को विशेष पुनर्वास पैकेज (SRP) की दोनों किश्तों का भुगतान

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

एवं पुनर्वास भूखंड प्रदान किए गए। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि पुत्रियां रेणुका एवं भारती का विवाह धारा-4 के प्रकाशन से पूर्व हो चुका था तथा वे कृषि पर आश्रित नहीं थीं, अतः वे विशेष पुनर्वास अनुदान की पात्र नहीं हैं। मनोरमाबाई स्वयं वृद्ध एवं अपने पुत्रों पर आश्रित हैं। संबंधित प्रकरण में न्यायालयीन वाद लंबित होने तथा विभाग को उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त होने के कारण वर्तमान में उन्हें अतिरिक्त एसआरपी लाभ प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

7. सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि प्रकरण विस्थापन एवं पुनर्वास से संबंधित एक गंभीर मामला है, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवार को कथित रूप से उसके हिस्से का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग ने यह भी गंभीरता से संज्ञान लिया कि शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात भी यदि उसका अनुपालन नहीं हुआ है, तो यह अत्यंत चिंताजनक विषय है।
8. आयोग ने संबंधित विभागों द्वारा आयोग के नोटिस एवं स्मरण पत्र के बावजूद प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा कहा कि इससे न केवल आयोग की कार्यवाही प्रभावित होती है, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों को न्याय प्राप्त होने में भी अनावश्यक विलंब होता है।
9. प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय आयोग ने पाया कि संबंधित विभागों से विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन तथा शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन की स्थिति प्राप्त किया जाना आवश्यक है तथा माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग द्वारा अपील को उचित नहीं मानते हुए प्राधिकारियों को सलाह दिया कि उन्हें अपील नहीं करना चाहिए था क्योंकि किसी भी विस्थापित परिवार को पुनर्वास राशि प्राप्त होना उसका अधिकार है और इस दिशा में मानवीय स्वरूप अपनाते हुए कार्य को किया जाना चाहिए ना कि मात्र नियम और कानूनों के शब्दसः व्याख्या करते हुए।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुशंसाएं कीं –

1. संबंधित विभाग यह परीक्षण करें कि यदि अभ्यावेदिका एवं अन्य सह-खातेदार मुआवजा प्राप्त करने के पात्र हैं, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। इस जांच में प्राधिकारियों को मानवीयता के आधार पर कार्य करना चाहिए तथा लाभार्थी को जो भी सहायता राशि देय हो, उन्हें सहायता अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए।
2. अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा जिला कलेक्टर, बड़वानी संयुक्त रूप से प्रकरण की समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन 30 दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध कराएं।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

.....

फाईल नं. NCST/DEV-6418/MP/120/2025-RU-I

दिनांक. 16.06.2025

विषय: सरदार सरोवर बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में की गई अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रदान किए जाने हेतु श्रीमती मनोरमा बाई पत्नी श्री गजानन्द पुरोहित, निवासी-ग्राम सानगांव, तहसील व जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश का दिनांक 16.11.2025 का अभ्यावेदन के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के सभागार कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, 59 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-बड़वानी,

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	भूपेन्द्र रावत	SDM बड़वानी	7049610171	
2.				
3.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				